बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार ग्रामदान अधिनियम, १९६५ के अन्तर्गत ग्रामदानी गांवों की ग्राम सभाओं के लिए विनियम ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
१९७३

www.vinoba.in

बिहार ग्रामदान अधिनियम, १९६५ के अधीन ग्रामदानी गावों के लिए विनियम का प्रारूप।

बिहार ग्रामदान अधिनियम, १९६५ (बिहार अधिनियम संख्या ४, १९६६) के अधिनियम के अद्यतन संशोधनों के अधीन अधिनियम की धारा ४१ के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत ग्रामदानी गांव.................., पंचायत........................., थाना नं०............ अंचल ...., थाना.............., जिला...................... की ग्राम सभा जिसका गठन बिहार सरकार ने ता०.................. को विशेष अधिसूचना संख्या ....पृष्ठ...............स्तम्भ .... द्वारा किया, अपनी ता०................ को ग्राम सभा में सर्वसम्मति स अपने कार्य के संचालन के लिए निम्नलिखित विनियमों का निर्माण करती है।

विनियम संख्या १।

(क) ये विभिन्न ग्रामदानी गांव.......... के विनियम कहे जायेंगे।

(ख) ये विनियम ग्रामदानी गांव.......... में तुरंत लागू हो जायेंगे।

विनियम संख्या २।

परिभाषाएं :—

विनियम या प्रसंग में कोई विरोध या असंमति न होने पर इन विनियमों में व्यवहृत।

(क) "विनियम या एक्ट" से तात्पर्य बिहार ग्रामदान अधिनियम, १९६५ (बिहार अधिनियम संख्या ४, १९५६) तथा इसके संशोधनों और समय-समय पर आगे होनेवाले संशोधनों से है।

(ख) "धारा" से तात्पर्य अधिनियम की धाराओं से है।

(ग) "नियम" से ताप्पर्य अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमों से है।

(घ) "कमिटी" का तात्पर्य बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम १९५४ की धारा ३(1) के अधीन संस्थापित बिहार भूदान यज्ञ कमिटी से है।

(ङ) "अध्यक्ष" से तात्पर्य कमिटी के अध्यक्ष या बिहार ग्रामदान अधिनियम की धारा २(क) के अधीन अध्यक्ष द्वारा नामजद व्यक्ति से है।

२६ रेवेन्यू—१

www.vinoba.in

(च) "सभापति" से तात्पर्य धारा २१ के अन्तर्गत ग्राम सभाद्वारा निर्धारित सभापति से है।

(छ) "पंचायत" से तात्पर्य बिहार पंचायत राज एक्ट, १९४७ (बिहार एक्ट ६, १९४८) के अन्दर गठित वि सभा के क्षेत्र को पंचायत .....अंचल.....जिला..... से है।

(ज) "सर्वानुमति" से मतलब सभा में उपस्थित लोगों को आम सहमति से है। १० प्रतिशत या उससे कम लोगों का विरोध आम सहमति मानी जायगी।

(झ) "ग्राम सभा" से तात्पर्य धारा ९ के अन्तर्गत गठित उस इमदानीगांव को ग्रामसभा से है।

विनियम संख्या ३

बैठकें :—

ग्राम सभा की बैठकें दो प्रकार की होंगी—सामान्य एवं विशेष।

(क) सामान्य बैठकें—साधारणतः महीने में एक बार बैठकें हुआ करेंगी परन्तु वर्ष में कम से कम आठ बैठकें आवश्यक है। पर एक बैठक से दूसरी बैठक की अवधि दो माह से अधिक की न होगी।

सामान्य बैठकें निम्न प्रकार से बुलाई जायगी—

(१) ग्राम सभा की सामान्य बैठकें सामान्यतः सभापति के परामर्श से मंत्री द्वारा बुलायी जायेगी।

(२) आवश्यक होने पर ग्राम सभा के सभापति सामान्य बठक बुला सकेंगे।

www.vinoba.in

(३) यदि पदाधिकारीगण सामान्य बैठक निर्धारित अवधि में नहीं बुलायें तो ग्रामसभा की सदस्यता के दसवां भाग के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से अध्यक्ष के पास दिये गये आवेदन-पत्र पर इसकी प्राप्ति के १५ दिनों के अन्दर बैठक बुलाना आवश्यक होगा।

(ख) विशेष बैठकें—

(१) वार्षिक अधिवेशन—प्रति वर्ष ग्राम सभा का एक विशेष अधिवेशन होगा। इस अधिवेशन में वर्ष भर की योजना एवं बजट पेश किया जायेगा, स्थायी समितियों का गठन होगा, जमीन के माल-गुजारी के सम्बन्ध में नीति निर्धारित होगी। ग्रामदान किसान और आवंटित का अद्यतन खाता तैयार किया जायेगा। भूमि संचय की अवशेष भूमि कोई हो या किसी आवंटित से जमीन वापस की गई हो तो वैसी भूमि का आवंटन होगा। जमा एवं ऋण का ब्याज निर्धारित होगा।

ग्राम सभा के कार्यों का मूल्यांकन एवं समीक्षा होगी तथा अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए सरकार के पास भेजे जानेवाले नामों को स्वीकृति दी जायेगी।

(२) असाधारण अधिवेशन—ग्राम सभा के अष्टांश लोगों के हस्ताक्षर से असाधारण अधिवेशन बुलाने कारण और मांग पत्र के प्राप्त होने पन्द्रह दिनों के अन्दर सभापति असाधारण अधिवेशन बुलायेंगे।

(३) असाधारण अधिवेशन—अतिप्रयोजनीय स्थिति में सभापति असाधारण अधिवेशन बुला सकते हैं। इस प्रकार बैठक में वार्षिक अधिवेशन के किन्हीं विषयों पर पुनर्विचार किया जा सकेगा।

विनिमय संख्या ४।

बैठक बुलाने की विधि एवं कार्यवाह।

(क) सामान्यतः सभी प्रकार की बैठकें ग्राम सभा के मंत्री सभापति के परामर्श से बुलायेंगे।

www.vinoba.in

(ख) मंत्री प्रत्येक बैठक में गत बैठक की कार्यवाही सम्पुष्टि हेतु प्रस्तुत करेंगे एवं बैठक की कार्यवाही को अंकित करेंग ।

(ग) बैठकों की अध्यक्षता ग्राम सभा के सभापति करेंगे । सभापति के अनुपस्थिति में उपस्थित व्यक्तियों के द्वारा मनोनीत सभापति बैठक की अध्यक्षता करेंगे । परन्तु यदि सभा के मध्य में सभापति किसी समय उपस्थित हो जायेंगे, तो उनके लिए आसन खाली कर देना होगा ।

(घ) सामान्यतः प्रत्येक बैठक में अगली बैठक का समय एवं स्थान निर्धारित कर लिया जायगा, फिर भी प्रत्येक--

(१) सामान्य बैठक के तीन दिन पूर्व पूरे गांव में घंटी या ढोल बजा कर या अन्य प्रकार से लोगों का ध्यान आकर्षित कर बैठक के समय, स्थान एवं विचारणीय मुख्य मुद्दों की जानकारी दी जायेगी । इस प्रकार की लिखित जानकारी ग्राम सभा के कार्यालय एवं गांव के सुगोचर स्थानों पर चिपका देना आवश्यक होगा । इस प्रकार की की गई कार्यवाही के प्रमाण हेतु उस स्थान के किसी जवाबदेह व्यक्ति का हस्ताक्षर लेना भी आवश्यक होगा ।

(२) विशेष बैठकों के लिए उपर्युक्त रीति से कम-से-कम एक सप्ताह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा ।

विनियम संख्या ५ ।

बैठक बुलाने की विशेष विधि--

(क) आवश्यक होने पर सभापति एक दिन की पूर्व सूचना पर तथा तीन दिन की पूर्व सूचना पर क्रमशः सामान्य या विशेष बैठक बुला सकेंगे । सूचना प्रसारित करने की विधि विनिमय ४ (घ) के अनुसार होगी ।

(ख) विनिमय संख्या ३(क)(*iii*) एवं (ख)(*iii*) के अनुसार बैठक बुलाने के इच्छुक व्यक्ति सर्वसम्मति से एक व्यक्ति को संयोजक मनोनीत करेंगे जो विनियम ४(च) को विहित पद्धति से सूचना

www.vinoba.in

प्रसारित करेंगे एवं मंत्री की जगह बैठक की कार्यवाही लिखेंग तथा कार्यवाही की सूचना सभापति को देंगे। यह कार्यवाही भी तभी की जायेगी जब सभापति आवेदन प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर सामान्य बैठक या असाधारण अधिवेशन बुलाने की कार्रवाई न करेंगे।

विनियम संख्या ६।

बैठक का निर्णय :—

बैठक का निर्णय सामान्यतः सर्वसम्मति या सर्वानुमति से होगा। यदि सर्वसम्मति या सर्वानुमति में कठिनाई हो तो कुछ समय के लिए बैठक स्थगित कर सदस्यों को स्वस्थ चिन्तन का अवसर दिया जायेगा। इसके बावजूद यदि कोई सर्वसम्मति या सर्वानुमति निर्णय नहीं हो सके और यदि सभा चाहे तो तीन या पांच पंचों को निर्णय करने हेतु अधिकार सौंप सकती है। उनका निर्णय ग्राम सभा का निर्णय माना जायेगा। पंचों का चुनाव सर्वानुमति से भी हो सकता है लेकिन स्वयं पंचों का निर्णय सर्वसम्मत से ही होगा।

विनियम संख्या ७।

गणपूरक संख्या :—

(क) साधारण एवं विशेष बैठक को गणपूरक संख्या ग्राम सभा के कुल सदस्यों का क्रमशः दसांश एवं अष्टांश होगा।

(ख) विनियम ५ (ख) के अधीन बुलाये गये बैठक की गणपूरक संख्या सामान्य बैठक के लिए ग्राम सभा के सदस्यों से अष्टांश एवं विशेष बैठक के लिए एक चौथाई आवश्यक होगा।

विनियम संख्या ८।

स्थगित बैठक :—

गणपूरक संख्या के अभाव में स्थगित सामान्य बैठक एक दिन बाद और विशेष बैठक सात दिन बाद पुनः सबको पूर्व की रीति से सूचना देकर होनी चाहिए। विनियम संख्या ५ (ख) के अन्तर्गत बुलायी गयी विशेष बैठक तो किसी भी हालत में बिना गणपूरक के न हो।

www.vinoba.in

विनियम संख्या ९ ।

अधिनियम, नियम एवं विनिमय में अन्यत्र उल्लिखित कृत्यों एवं शक्तियों के अतिरिक्त सभापति के निम्न अधिकार एवं कर्त्तव्य होंगे—

(क) सभापति, ग्राम सभा के सामान्य, विशेष एवं कार्य समिति की बैठकों का सभापतित्व करेंग ।

(ख) सभापति या मंत्री ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार, ग्राम सभा की ओर से इस काम के लिएँ अधिकार प्राप्त होने पर अचल सम्पति की खरीद-बिक्री, ऋण, उधार एवं एकरारनामा तथा ग्राम सभा की अचल सम्पति का पट्टा, बंधेज या आवंटन पर हस्ताक्षर करेंगे ।

(ग) सभापति किसी भी कर्मचारी को मुअत्तल कर सकेंगे । ऐसी मुअत्तली पर एक सप्ताह के अन्दर ही कार्यसमिति विचार करेगी । मंत्री, कार्यसमिति के सदस्य एवं किसी समिति के किसी व्यक्ति की मुअत्तली सभापति कार्यसमिति के निर्णय के आधार पर ही करेंगे । पदाधिकारियों या सदस्यों की मुअत्तली के बीस दिनों के अन्दर ग्रामसभा के विचारार्थ रखा जाना आवश्यक होगा । किसी भी मुअत्तली के पूर्व मुअत्तल होनेवाले व्यक्ति को स्पष्टीकरण का मौका देना अनिवार्य होगा ।

विनियम संख्या १० ।

सभापति की अन्य पात्रताएं :

सभापति होने का पात्र वह व्यक्ति होगा—

(*i*) जो ग्राम सभा का सदस्य हो और मैदान में शामिल हुआ हो ।

(*ii*) जिसकी उम्र कम-से-कम १५ वर्ष का हो ।

(*iii*) स्वस्थ्यचित हो; और,

(*iv*) ग्राम सभा में किसी लाभ के पद पर न हों तथा ग्राम सभा से किसी प्रकार की ठेके की आय न हो ।

(*v*) जो ग्राम सभा द्वारा पदाधिकारी के लिए बनाये गए नियमों का पालन करता हो ।

www.vinoba.in

विनियम संख्या ११।

सभापति पद की समाप्ति।

सभापति का पद निम्न कारणों से रिक्त माना जायगा।

(*i*) यदि सभापति की मृत्यु हो जाय;

(*ii*) सभापति विनियम १० में उल्लिखित पात्रता खो दे;

(*iii*) यदि ग्राम सभा की विशेष बैठक में सर्वसम्मत या सर्वानुमति से प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाये।

स्थान रिक्त होने से मंत्री, कार्यकारी सभापति का पद नये चुनाव तक संभालेंगे। रिक्त स्थान की पूर्त्ति के लिए खाली होने के दिन से एक माह के अन्दर सभापति का नया चुनाव कराना मंत्री के लिए अनिवार्य होगा।

विनियम संख्या १२।

सभापति का मानद एवं भत्ता—सभापति को सभापति पद के लिए कोई मानद या भत्ता नहीं दिया जायेगा, पर यदि सभापति ग्राम सभा के कार्य से कहीं प्रवास में आता है, तो मार्ग व्यय के अतिरिक्त ग्राम सभा आवश्यकता होने पर मानद दे सकती है। ऐसे पदाधिकारियों का चुनाव जैसे कोषाध्यक्ष, शान्ति सेना नायक आदि को आवश्यतानुसार नियुक्ति करना।

विनियम संख्या १३।

स्थायी समितियां

ग्राम सभा निम्नलिखित स्थायी समितियों का गठन करेगी जिनका कार्य-काल सामान्यतः एक वर्ष से अधिक का न होगा :—

(*i*) वित्त एवं राजस्व समिति—बजट एवं आर्थिक लेन-देन के लिए भू-सम्बन्धी अधिकारों का निर्णय एवं राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करना।

(*ii*) कृषि और पशुपालन समिति—कृषि विकास योजना।

(*iii*) शिक्षा स्वास्थ्य एवं रंजन—शिक्षा की योजना लागू करना।

(*iv*) खादी उद्योग एवं समिति—गांव में खादी एवं अन्य उद्योग विकास की योजना प्रस्तुत कर उनका कार्यान्वयन कराना।

www.vinoba.in

(v) शान्ति सेना समिति——सुरक्षा, सफाई, स्वास्थ्य कार्य के लिए तथा आवश्यकतानुसार ग्राम सभा द्वारा बताई गयी अन्य परामर्शदातृ होगी। समय-समय पर कार्यसमिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों और कृत्यों का पालन करना इन समितियों का काम होगा।

विनियम संख्या १४।

कार्यसमिति की सदस्यता तथा अधिकार और कर्त्तव्य।

(क) सामान्यतः कार्यसमिति के सदस्यों की संख्या १५ से अधिक नहीं होगी।

(ख) कार्यसमिति के सदस्यों की योग्यता—

(i) जो ग्राम सभा का सदस्य हो और ग्रामदान में शामिल हुआ हो।

(ii) ग्राम सभा द्वारा कार्यसमिति की सदस्यता के लिए बनाए गए नियमों का पालन करता हो।

(ग) कृत्य एवं शक्तियां :—

(i) कार्यकारिणी समिति ग्राम सभा के निर्णय को कार्यान्वित करने की व्यवस्था करेगी।

(ii) गांव के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से शान्ति, सुरक्षा, शिक्षण, संस्कार, श्रम, सहकार, स्वास्थ्य, सफाई, खेती, खाद, सड़क, रास्ते, नाले, आवास, पेयजल एवं प्रकाश की व्यवस्था और समुचित विकास हेतु प्रयत्नशील रहेगी।

(iii) शोषणमुक्त समाज की स्थापना के लिए अन्त्योदय की दृष्टि से गांव के परस्परावलम्बन पर आधारित अपनी आवश्यकताओं की पूर्त्ति हेतु तथा गांव के बुढ़े, बच्चे, बीमार, विधवा एवं बेकार लोगों को चिन्तामुक्ति की व्यवस्था करेगी।

(iv) किसी ग्रामदानी किसान की जमीन बेचने या रेहन रखने सम्बन्धी आवेदन-पत्र पर विचार कर निर्णय करेगी।

www.vinoba.in

(v) कर्मचारियों की नियुक्ति एवं विमुक्ति करेगी।

(vi) ग्रामदान अधिनियम द्वारा विहित ग्राम सभा के कृत्य एवं शक्तियों के निर्वाहन के लिए पहल करेगी।

(घ) कार्यसमिति के पदाधिकारी :—ग्राम सभा के सभापति एवं मंत्री ही कार्यसमिति के सभापति एवं मंत्री होंगे। कार्यसमिति के सदस्यों म से स्थायी समितियों के संयोजक हो सकेंगे।

(ङ) कार्य समिति का कार्यकाल ीन व र्ों का होगा। बीच में रिक्त स्थानों को पूर्त्ति ग्राम सभा के द्वारा शेष अवधि के लिए की जायगी।

(च) कार्यसमिति के निर्णय सामान्यतः सर्वसम्मति से होंगे। किसी विषय पर सर्वसम्मति न होने पर उस विषय ो उस बैठक में स्थगित किया जायगा। दसरी बैठक में उस विषय पर निर्णय सर्वानुमति से भी हो सकेंगे।

(छ) कार्यसमिति का चुनाव :—ग्राम सभा के सभापति के चुनाव के लिए बुलायी गई ैठक में ग्राम सभा कार्यसमिति के सदस्यों का चुनाव करेगी।

विनियम संख्या १५।

अन्य स्थाई समितियों कीं सदस्यता :—इन समितियों के अधिकार और कर्त्तव्य कार्यसमिति द्वारा निर्धारित होंगे।

मंत्री एवं अन्य पदाधिकारी

विनियम संख्या १६।

मंत्री का चुनाव :—सभापति के चुनाव के लिए बुलायी गई बैठक में मंत्री एवं अन्य पदाधिकारियों का चुनाव ग्रामसभा करेगी।

विनियम संख्या १७।

मंत्री के अधिकार एवं कर्त्तव्य—अन्यत्र उल्लिखित विनियमों में मंत्री के विहित अधिकार एवं कर्त्तव्य के अतिरिक्त उनके निम्न अधिकार एवं कर्त्तव्य होंगे।

(१) ग्राम सभा एवं उसको कार्यसमिति के कार्यों को व्यवस्थित एवं सुचारु ढंग से संचालित करने के लिए मंत्री इनके कार्यालय का संचालन

www.vinoba.in

करेंगे। कार्यालय की पूरी व्यवस्था का जिम्मा, यथा सभी कागजात, अद्यतन एवं सुरक्षित रखना, कर्मचारियों का नियंत्रण, इनकी छुट्टी आदि का जिम्मा मंत्री पर होगा।

(२) ग्राम सभा या सभापति द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का पालन करना।

विनियम संख्या १८।

मंत्री जब यदि अपनी कार्यावधि में त्यागपत्र दे दें या अन्य कारणों से उनका पद रिक्त हो जाय तो ऐसी अवस्था में शेष कार्यकाल के लिए ग्राम सभा पुनः मंत्री निर्वाचित करेगी। मंत्री के रिक्त स्थान की पूर्ति भी एक माह के अन्दर करनी होगी।

विनियम संख्या १९।

मंत्री को मानद एवं भत्ता—मंत्री की हैसियत से मंत्री के कर्त्तव्य निर्वाह के लिए अधिक समय देना पड़े और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी रहे कि मानद देना आवश्यक समझा जाय, तो कार्यसमिति मंत्री के लिए मानद भत्ता निश्चित कर सकती है।

विनियम संख्या २०।

कार्यसमिति अपने कार्यों के सम्पादन और संचालन हेतु कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति प्रयोजनानुसार समय-समय पर करेगी। ऐसे किसी पद या पदों का निर्वाह व्यय का निश्चय कार्यसमिति अपने प्रस्ताव द्वारा कर सकेगी।

ग्राम-निधि।

विनियम संख्या २१।

ग्राम सभा में निहित सभी निधि, सहायता, भेंट, दान आदि से प्राप्त सम्पत्ति या सम्पत्तियों को अधिनियम में उल्लिखित प्रयोजनों तथा तत्सम्बन्धी अन्य प्रयोजनों के लिए ग्राम सभा रखेगी तथा खर्च करेगी।

विनियम संख्या २२।

प्रत्येक वर्ष के आय-व्यय के अनुमान-पत्रक तैयार कर ग्राम सभा की बैठक में स्वीकृति के लिए कार्यसमिति की ओर से मंत्री पेश करेंगे। साधारणतः किसी वर्ष के आरम्भ होने के पहले वार्षिक आय-व्यय अनुमान-पत्रक की स्वीकृति ग्राम सभा से कर ली जायगी।

www.vinoba.in

वित्तीय वर्ष

विनियम संख्या २३ ।

ग्राम सभा का वित्तीय वर्ष । जुलाई से ३० जून तक का होना ।

विनियम संख्या २४ ।

साधारणतया ग्राम सभा द्वारा स्वीकृति आय-व्यय अनुमान-पत्रक को परिधि के अन्दर मत्री को खर्च करने का अधिकार होगा । आवश्यकता होने पर सभापति की अनुमति से उस परिधि के बाहर भी मंत्री खर्च कर सकेंगे किन्तु उसकी मंजूरी ग्राम सभा को अगली बैठक में प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा और ऐसे किए गये सभी खर्च का समावेश पूरक आय-व्ययक अनुमान-पत्रक में किया जायगा । आवश्यकता होने पर किसी वर्ष के बीच में भी पूरक अनुमान-पत्रक स्वीकृत किया जा सकेगा ।

विनियम संख्या २

ग्राम कोष से ऋण लेने और देने का निर्णय वित्त समिति की सिफारिश पर कार्यसमिति करेगी । आकस्मिक परिस्थिति में सभापति की अनुमति से कार्य-समिति की स्वीकृति की प्रसंशा में से मंत्री ऋण दे सकते हैं ।

विनियम संख्या २६ ।

अवभारों की अदायगी : ग्राम सभा की स्थापना के बाद यथा शीघ्र वित्त समिति ग्रामदान में शामिल लोगों के सभी अवभारों का लेखा-जोखा करेगी । वित्त समिति की अनुशंसा पर ग्रामसभा यह निर्णय लेगी कि किस अवभार का जिम्मा ग्राम सभा को लेना चाहिए और किस अवभार का जिम्मा नहीं चाहिए । जिन अवभारों का जिम्मा ग्राम सभा लेगी उनकी अदायगी का रास्ता वित्त समिति ब्यौरे में प्रस्तुत करेगी एवं इस प्रकार उपस्थित किए गये ब्यौरे पर कार्यसमिति विचार कर अवभार मुक्ति का रास्ता तय करेगी ।

विनियम संख्या २७।

वित्त समिति ग्रामीणों को ऋण मुक्ति के लिए एक योजना उपस्थित करेगी जिसमें सर्वप्रथम यह प्रयास किया जायगा कि ग्रामदान में शरीक व्यक्तियों के ऊपर ग्राम सभा के बाहर के व्यक्तिगत लोगों के कर्ज को अदायगी हो जाय । इसके लिए ग्राम सभा ग्रामीणों की ओर से ऋणमुक्ति हेतु विशेष ऋण की मांग करगी तथा महाजनों से अनुरोध करेंगी कि वे अपने बाकी रकम का किस्त कर दें ।

www.vinoba.in

विनियम संख्या २८।

ग्राम सभा अपने साधनों के विनियोग में बेरोजगारी तथा अर्द्ध-बेरोजगारी के निवारण को प्राथमिकता देगी।

भूमि व्यवस्था

विनियम संख्या २९।

समुच्चयित कृषि योग्य भूमि का वितरण :—

(क) समुच्चयित कृषि योग्य भूमि का वितरण गांव के भूमिहीन कृषि मजदूरों के बीच किया जायेगा।

(ख) ग्राम सभा द्वारा नि ारित ीमा के अन्तर्गत भूमि रखने वाले अल्प भूमिवान समूच्चयित कृ ष योग्य भूम पाने के पात्र माने जायेंगे।

(ग) धारा ४ के अधीन ग्रामदान में शरीक होनेवाले व्यक्ति ो इस वात की छूट रहेगी कि वे उस भूमि के लिए जो उनसे भूमि समुच्चय के लिए प्राप्त हुआ है, ग्रामदान में शरीक किसी ऐसे भूमिहीन के नाम बासगीत के अतिरिक्त दूसरी कोई भूमि न हो, अंकित करने हेतु ग्राम सभा को सिफ़ारिश कर सकेगा और अन्तिम निर्णय ग्राम सभा का होगा।

(घ) आवंटति को परिशिष्ट (ध) प्रपत्र पर प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

(ङ) ग्राम सभा समुच्चयेत भूमि का अलग खतियान परिशिष्ट प्रपत्र संख्या २ में रहेगी जिसे प्रतिवर्ष अद्यतन किया जाता रहेगा।

विनियम संख्या ३१।

भूमि अभिलेख :—

(क) ग्राम सभा अपने गांव के क्षेत्र से सम्बन्धित राजस्व पदाधिकारी से अपने गांव के खतियान की नकल एवं रजिस्टर २ प्राप्त करेंगी जिसके आधार पर अपने गांव का सम्पूर्ण भूमि अभिलेख तैयार करेंगी।

(ख) ऐसा भूमि अभिलेख समय-समय पर अद्यतन किया जाता रहेगा।

(ग) इस प्रकार का अद्यतन अभिलेख ग्रामीणों को देखने के लिए उपलब्ध रहेगा।

(घ) ग्राम सभा प्रत्येक किसान को उनको भूमि के लिए एक पास-बुक परिशिष्ट के प्रपत्र ३ पर देगी।

www.vinoba.in

विनियम संख्या ३२

भू-राजस्व :

बिहार सरकार द्वारा निर्धारित भू-राजस्व को वसूली ग्राम सभा करेगी और कमीशन को रकम मिन्हा कर शेष रकम बिहार सरकार के खजाने में जमा कर देगी।

विनियम संख्या ३३।

भूमि का अस्थाई प्रवन्ध :—

(क) ग्राम सभा के किसी सदस्य द्वारा शोध्य किसी प्रकार के अवभार को आदायगी के चूक होने पर ग्राम सभा के निर्णय के द्वारा उस सदस्य को भूमि ग्राम सभा शोध्य अवभार को आदायगी तक के लिए अपने प्रबन्ध में ले लेगी।

(ख) ग्राम सभा किसी सदस्य को सुद भरना जमीन अपनी ओर से छुड़ा कर अपने कब्जे में सुद भरने के हैसियत से रख सकती है।

(ग) इस प्रकार अस्थाई प्रबन्ध में आई जमीन का ग्राम सभा में सालाना डाक बोला जायगा। यदि सम्बन्धित सदस्य चाहें तो अधिकतम डाक पर उस जमीन को अपनी जोत में ले सकते है।

(घ) इस प्रकार की जमीन ग्राम सभा के प्रबन्ध में तभी तक रखी जा सकती हे जबतक शोध्य राशि की आदायगी न हो जाय।

(ङ) यदि उस भूमि से सम्बन्धित किसान की हालत अच्छी न हो तो कार्यसमिति को अनुमति से उपज का आधा भाग ही बकिश्त में जमा किया जायगा।

विनियम संख्या ३४।

आदालत के लिए पंचों का चुनाव :

(१) पंचों के चुनाव के लिए बुलाई गई ग्राम सभा की बठक में सर्व-सम्मति से ग्राम सभा के सदस्यों में से पंचों का चुनाव होगा।

(२) पचों के लिए वे पात्रताएं अपेक्षित हैं जो कार्यसमिति के सदस्य के लिए आवश्यक मानी गई है।

www.vinoba.in

(३) किसी पंच के स्थान रिक्त होने पर ग्राम सभा शेष अवधि के लिए ग्राम सभा के किसी दूसरे व्यक्ति को पंच मनोनित कर सकेगी।

(४) पंचों की संख्या ५ होगी और कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

विनियम संख्या ३५।

किस पंच के प्रति आरोप आने पर ग्राम सभा को इस कार्य के लिए, विशेष बैठक बुलाकर उपस्थित सदस्यों की सर्वानुमति से पंच को पदच्युत किया जा सकेगा।

विनियम संख्या ३६।

पंच अपने में से किसी व्यक्ति को सर्वसम्मति से सरपंच मनोनीत करेंगे।

सरपंच—मुख्य पंच

न्याय पीठ-अध्यक्ष।

www.vinoba.in

ग्राम सभा——————

प्रमाण-पत्र

श्री——————पुत्र——————निवासी——————ग्राम——————टोल——————प्रखण्ड——————जिला——————को ग्रामदान में भूमिहीनों के बीच वितरण करने के लिए प्राप्त भूमि में से नीचे लिखे विवरण की भूमि प्रदान की जाती है। आज ता०—————— १९ से उक्त भूमि पर निम्नलिखित शर्तों के साथ ग्रामदान अधिनियम के अन्तर्गत आवंटी की हैसियत से सभी कानूनी अधिकार इनको प्राप्त होंगे।

आवंटित भूमि का विवरण।

नाम गांव——टोला——थाना नं०——प्रखंड——रेवेन्यू थाना——रजिस्ट्री——जिला——

दाता का नाम और पता।	ब्यौरा।		चौहद्दी।				रकबा					किस्म जमीन।	विशेष
	खाता नं०।	खेसरा नं०।	उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम	एकड़	डिस०	बीघा	क०	धुर		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४

उपरोक्त निर्णय ग्राम सभा की दिनांक—————— १९ की बैठक में हुई है।

गवाह	क्रमांक	नाम	पता	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर अध्यक्ष
	१				
	२				

आदाता का हस्ताक्षर या निशान

दाता का हस्ताक्षर या निशान

ग्राम सभा——————

ग्राम सभा——————

प्रमाण-पत्र

श्री———————————पुत्र———————————निवासी———————————
ग्राम———————————टोला———————————प्रखंड———————————जिला———————————
को ग्रामदान में भूमिहीनों के बीच वितरण करने के लिए प्राप्त भूमि में से नीचे लिखे विवरण की भूमि प्रदान की जाती है। आज तां०——————— १९ से उस भूमि पर निम्नलिखित शर्तों के साथ ग्रामदान अधिनियम के अन्तर्गत आवंटिती की हैसियत से सभी कानूनी अधिकार इसको प्राप्त होंगे।

१ प्रदत्त भूमि में आवंटिती को निज की खेती करना अनिवार्य होगा। दूसरे किसी को जोतने के लिए देने, बेचने, गिरवी रखने, दान करने या किसी अन्य तरह से देने का स्वत्व निवृति का अधिकार न होगा। परन्तु ग्राम सभा की अनुमति से उस गांव के ग्रामदान में शामिल किसी व्यक्ति के साथ अपनी जमीन का हक या उसका कोई हिस्सा अदल-बदल करने का होगा और उसके उत्तराधिकारी को उस पर लागू सभी शर्तों के साथ विरासत में जमीन हासिल करने का हक होगा।

२ वह जमीन का कोई हक या हिस्सा सरकार को या सरकारी समिति को या किसी अन्य लोक संस्था के पास ग्राम सभा की अनुमति से रेहन रख सकता है।

३ आवंटित भूमि का भू-राजस्व लगान, सेस, रेट और कर उसे प्रतिवर्ष ग्राम सभा को चुकाना होगा।

४ आवंटित भूमि के उपज का चालीसवां भाग या जितना ग्राम सभा नियम करेगी ग्राम सभा को प्रतिवर्ष देना होगा।

५ उपरोक्त शर्तों और प्रतिबन्ध के नियमित रूप से पालन नहीं होने की दशा में ग्राम सभा को अधिकार होगा कि ग्रामदान अधिनियम की धारा २ के अनुसार कारंवाई करके आवंटन को रद्द करा दे।

www.vinoba.in

आवंटन भूमि का विवरण

नाम गांव ——— टोला ——— थाना नं० ———

प्रखण्ड ——— रेवेन्यू थाना ——— रजिस्ट्री ———

जिला ———

दाता का नाम और पता।	व्यौरा		चौहद्दी				रकबा					विविध।
	खाता	खेसरा	उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम	एकड़	डि०	बी०	क०	धुर	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३

उपरोक्त निर्णय ग्राम सभा की दिनांक ——— की बठक में हुआ है।

ग्राम सभा की मुहर

दाता का हस्ताक्षर या निशान

हस्ताक्षर अध्यक्ष ग्राम सभा

www.vinoba.in

परिशिष्ट प्रपत्र-२ ।

समुचित भूमि का खतियान ।

[विनियम संख्या २६ (ङ) द्रष्टव्य]

खातेदार का नाम······················· पिता का नाम·······················

राजस्व गांव का नाम············ टोला··········· थाना··········· अंचल··· ···· जिला ···········

खाता नं०	खेसरा नं०	चौहद्दी	रकबा	विशेष

www.vinoba.in

कुल भूमि··················

परिशिष्ट प्रपत्र-३।

प्रत्येक किसान को उनकी भूमि के लिए पास बुक।

[विनियम संख्या ३१ (घ) द्रष्टव्य]

किसान का नाम।	गांव/मुहल्ला/टोला।	थाना।	अंचल।	जिला।

कुल भूमि :—   वार्षिक मालगुजारी :—   सेस:—

प्रतिवर्ष—ग्राम सभा द्वारा अद्यतन किया जायगा।

www.vinoba.in

ग्राम सभा की मुहर।

परिशिष्ट प्रपत्र-४ ।

भूमि की बिक्री, बंधक या अवभार के लिए अनुमति प्राप्त करने का आवेदन-पत्र ।

[विनियम १४ (ग) (IV) द्रष्टव्य]

सेवा में,

अध्यक्ष,

ग्राम सभा ।

विषय:—भूमि की बिक्री, बंधक या अवभार के लिए अनुमति प्राप्त करने का आवेदन-पत्र ।

....

मुझे..... .....कार्य के लिए मो०.....की आवश्यकता है । जमीन के अलावे मुझको आय का दूसरा साधन नहीं है ।

मैं,..... खाता नं०..... खेसरा नं०..... एराजी..... मो०..... में बंधक/बिक्री इत्यादि रखना चाहता हूँ ।

अतएव, ग्राम सभा से अनुरोध है कि १५ दिनों के अन्दर मुझको बंधक/बिक्री करने की अनुमति देने की कृपा की जाय ।

हस्ताक्षर,
ग्रामदान किसान ।

जमीन का विवरण :—

तिथि :—

खाता नं०	खेसरा नं०	एराजी	चौहद्दी

बि०स०मु० (रेवेन्यू) २६—२—१०,०००—२४-१२-१९७३—अ० कुमार

www.vinoba.in